



**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.

**वर्ग अनुमोदन सं.1111 के लिए संशोधन सहित नवीकरण/  
AMENDMENT cum Renewal of Type Approval No.1111**

**मद/FOR ITEM: प्लेक्सीग्लास जीएस-249/**

**Plexiglas GS-249**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स रोहम जीएमबीएच, केमिस्के फैब्रिक, किर्सषेनेली, डी-64293, डेर्मस्टाड्ट, जर्मनी द्वारा विकसित तथा उत्पादित "प्लेक्सीग्लास जीएस-249" को पत्र सं.सेमिलेक/5070/टीए-1111 दिनांक 19 जनवरी 2005 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.1111 जारी किया गया था और 31 दिसम्बर 2009 तक वैध था।

*This is to state that the "Plexiglas GS-249" developed and manufactured by M/s Rohm GmbH, Chemische Fabrik, Kirschenallee, D-64293, Darmstadt, Germany, has been issued with Type Approval No.1111 vide letter No. CEMILAC/5070/ TA- 1111 dated 19<sup>th</sup> Jan 2005 and was valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2009.*

उक्त वर्ग अनुमोदन सं.1111 में निम्नलिखित संशोधन लागू हुआ कि जहाँ मेसर्स रोहम जीएमबीएच है उसे निम्नलिखित के अनुसार पढ़ा जाए।


*The following Amendment is effected in the subject Type Approval No. 1111 wherever M/s ROHM GMBH found Read as below:*

| For           | Read as               |
|---------------|-----------------------|
| M/s ROHM GMBH | M/s. Evonik Rohm GmbH |

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01/10/2010 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा जब तक अन्यथा स्थगित, रद्द, निरस्त न हो, तथा यह 31 दिसम्बर 2015 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे आदि को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (नासिक), द्वारा एचएएल नासिक प्रभाग, ओझार टाउनशिप, नासिक - 422 207, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र के अन्य सभी शर्तें वही रहेंगे।

*This is to certify that this type approval is hereby renewed W.e.f: 01/10/2010, based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2015, unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nashik), C/o HAL Nasik Division, Ojhar Township, Nasik-422 207, three months before the expiry of type approval, with all relevant document including performance feedback, Quantity produced & rejections if any and its cause. All other conditions stipulated in the type approval letter remain unaltered*

सं/No: सेमिलेक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1111/1A/1R  
दिनांक/Date : 15 Nov 2010  
फेक्स सं/Fax No: 080-25230856

  
(डॉ. के.तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)  
विशिष्ट वैज्ञानिक /Distinguish Scientist  
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)

  
15/11/10